8

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 111/2023 | 26.12.2023 | 05/1/2026 |

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र किशन, माली निवासी नयापुरा, महुकलॉ तहसील गंगापुर
—वादी

बनाम

1. चंदाबाई पुत्री किशन पत्नी स्व० बृजमोहन, माली निवासी चिरौली तह० गंगापुर सिटी
2. प्यारेलाल पुत्र किशन, माली निवासी नयापुरा महुकलॉ तह० गंगापुर सिटी
3. रामभरोसी पुत्र किशन, माली निवासी नयापुरा महुकलॉ तह० गंगापुर सिटी
4. बृजलाल मीना पुत्र हरसीलाल, मीना निवासी डिकोलीकलॉ तह० सपोटरा
5. भंवरलाल मीना पुत्र श्रीया मीना, मीना निवासी शिवाला तह० वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी — प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री बदरीनारायण गुर्जर, एड. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
श्री धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 4 ता 5
श्री कैलाश चंद गुप्ता एड. प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया भूमि ख0न0 316 रकबा 0.35 है०, ख0न0 318 रकबा 0.53 है०, ख0न0 602 रकबा 0.24 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 है० ग्राम महुकलॉ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा 1/12, 1/12 व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/6 हाल जमाबंदी मे दर्ज चला आ रहा हैं उपरोक्त भूमि का पक्षकारों ने मौके पर मौखिक विभाजन कर रखा है, भूमि का अभी विधिवत बंटवारा नही हुआ है। जिसके कारण आये दिन सीमाचिन्हों को लेकर झगडा फसाद होते रहते है। वादी ने दिनांक 18.12.2023 को प्रतिवादीगण से भूमि का बंटवारा करवाने हेतु तहसील कार्यालय मे चलने के लिए कहा परन्तु उन्होने भूमि का बंटवारा कराने से इंकार कर दिया इसलिए विभाजन का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी प्रस्तुत कर कर निवेदन है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे, इसी अनुसार अलग से जमाबंदी मे खाते कायम कर नक्शा ट्रेस बनाया जावें। लैण्ड होल्डर तहसीलदार को निर्देशित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:30.12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवा०) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

6



जावे कि वह नियमानुसार पृथक पृथक खाते कायम करे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे जब तक भूमि का विधिवत बंटवारा नही हो तब तक भूमि का रहन वय नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद को स्वीकारोक्ति का जबाब प्रस्तुत करते हुए राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादी व प्रतिवादीगण ने भूमि का बंटवारा पूर्व मे ही कर रखा है एवं इसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। ख०न० 317 रकबा 0.09 है० गैर मुमकिन चाह मे वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य सहखातेदारों का हिस्सा है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा है। वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर अपूर्ण पेश किया है। अतः वादी का दावा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार ख0न0 318 व 602 के पूरे रकबे पर प्रतिवादी संख्या 4 बृजलाल मीना व प्रतिवादी संख्या 5 भंवरलाल मीना का संयुक्त कब्जा है। मिन प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भूमि के चारो ओर पुख्ता बाउन्डरी निर्मित की हुई है तथा ख0न0 316 पर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 5 ने वादग्रस्त आराजीयात मे 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दिनांक 06.03. 19 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 बृजलाल मीना ने वादग्रस्त भूमि में से 1/6 हिस्सा दिनांक 23.10.19 को एवं 1/6 हिस्सा दिनांक 06.01.2021 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी बृजलाल का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी भंवरलाल मीना का 1/6 हिस्सा है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे एवं वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से मीट्स एंड बाउन्ड्स से विभाजन करना न्यायालय उचित समझे तो वादपत्र की चरण संख्या 8 (क) अनुतोष के अनुसार बाहमी रूप से हुए विभाजन एवं भौतिक रूप से मौके कब्जे के अनुसार विभाजन फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

7



वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 50 ग्राम महुकलों, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ताओं ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने प्रकरण मे रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का विभाजन कर भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण मे वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 23.6.2025 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/5130 दिनांक 10.10.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी बृजलाल मीना द्वारा दिनांक 07.11.2025 को आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिसमे उन्होने दर्शाया है कि जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है उसमे भूमि ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह के विभाजन के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नही है। जमाबंदी दिनांक 29.11.2010 मे अन्य खसरा नम्बर 316, 318 व 602 के साथ ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 की खातेदारी रामकिशोर पुत्र धन्नालाल स्वर्णकार के नाम हि0 2/3 तथा किशन पुत्र भौरया माली के नाम हि0 1/3 रही है। इसमे रामकिशोर स्वर्णकार ने 1/3 हिस्सा हुकमचंद पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर को एवं शेष 1/3 हिस्सा गोविन्द प्रसाद गुप्ता को बेचान किया है। फिर हुकमसिंह गुर्जर का 1/3 हिस्सा ओमप्रकाश महाजन को जरिए बेचान ट्रांसफर हुआ है। प्रतिवादी संख्या 4 बृजलाल मीना ने दिनांक 21.11.2018 को ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 सहित ख0न0 316, 31, 602 जरिए स्टाम्प इकरारनामा क्रय की है। जिसके बाद उक्त विक्रेताओ द्वारा मिन प्रतिवादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 भंवरलाल के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र भी निष्पादित किये गये है। ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह मे प्रतिवादी संख्या 4 का 2/3 हिस्सा है। यह ख0न0 प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से मे आयी भूमि ख0न0 318 रकबा 0.53 के मध्य मे स्थित है। ऐसी स्थिति मे ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 गैरमुमकिन चाह के सम्बन्ध मे भी तहसीलदार जी से बंटवारा स्कीम मंगवाया जाना आवश्यक है।

इस आपत्ति के सम्बन्ध मे वादी ने अपना जबाब प्रस्तुत किया। जिसमे वादी ने अंकित किया है ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह से प्रतिवादी संख्या 4 का कोई सरोकार नही है एवं वादी द्वारा ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 के सम्बन्ध मे कोई विभाजन भी नही चाहा गया है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:30:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी संख्या 4 को आपत्ति करने का कोई अधिकार हासिल नही है। प्रतिवादी तथाकथित अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकारी भी नही है। प्रतिवादी संख्या 4 ने पूर्व मे भी इसी न्यायालय मे आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह के बाबत संशोधन चाहा गया था तथा प्रतिवादी का यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एतराज खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया।ख0न0 317 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह की खातेदारी ओमप्रकाश, गोविन्द प्रकाश, चंदाबाई, प्यारेलाल, रामकिशोर व रामभरोसी के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 बृजलाल के नाम इस नम्बर की कोई खातेदारी दर्ज नही है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 ख0न0 317 के सम्बन्ध मे कोई अधिकार नही रखता है। फलस्वरूप प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. बृजलाल मीना पुत्र हरसीलाल, मीना निवासी डिकोली कलॉ तह0 सपोटरा हाल निवासी ताजपुर रोड, गंगापुर सिटी हिस्सा 56/77, भंवर लाल पुत्र श्रीया मीना निवासी शिवाला तह0 वजीरपुर हि0 21/77 की खातेदारी मे भूमि ख0न0 318 रकबा 0.53 है0, ख0न0 602 रकबा 0.24 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 ग्राम महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल, माली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 316/1 रकबा 0.04 है0, ख0न0 316/8 रकबा 0.0475 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.0875 है0 ग्राम महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
3. चंदाबाई पुत्री किशन, माली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 316/2 रकबा 0.04 है0, ख0न0 316/7 रकबा 0.0475 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0875 है0 ग्राम महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
4. प्यारेलाल पुत्र किशनलाल, माली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 316/3 रकबा 0.04 है0, ख0न0 316/6 रकबा 0.0475 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.0875 है0 ग्राम महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (राज०)
सत्यमेव जयते

9



5. रामभरोसी पुत्र किशनलाल, माली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 316/4 रकबा 0.04 है0, ख0न0 316/5 रकबा 0.0475 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.0875 है0 ग्राम महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:30:12 IST
Reason: SelfAttested